



प्रेस नोट - थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर



सरहानीय कार्य दिनांक 26.05.25

थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर किया चोरी का खुलासा चोरी किये गये 104 सेफटी प्लेट (MBCD) व 7 बोरी जैहूक लोहा सहित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व चिन्हित किये गये अपराधियों/ वांछित/ वारण्टी व रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब शस्त्र, बिक्री- निर्माण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद के नेतृत्व में थाना जलालाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी ।

दिनांक 25.05.2025 को वादी श्री रुपेश कुमार यादव पुत्र श्री ब्रह्मा प्रसाद नि0 सेमरी ता0 तहसील व थाना करछना जनपद प्रयागराज हाल पता HG INFRA ENGINEERING LTD गंगा एक्सप्रेस कैम्प कार्यालय गुलडिया जलालाबाद शाहजहाँपुर ने थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण 1. प्रभात मिश्रा पुत्र मनोज कुमार मिश्रा निवासी ग्राम मुडिया खुर्द थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर 2. अंकित कुमार पुत्र राजकुमार निवासी चौकी आजमपुर थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे पर दोनों तरफ लगी 104 सेफटी प्लेट व 7 बोरी जैहूक चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 274/2025 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) -2023 पंजीकृत कराया गया । जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री पवन कुमार के द्वारा सुपुर्द की गयी । । दिनांक 26.05.2025 को अभियुक्त 1. प्रभात मिश्रा उर्फ पिन्टू पुत्र मनोज कुमार मिश्रा निवासी ग्राम मुडिया खुर्द थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर 2. अंकित कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम चौकी आजमपुर थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर व 3. मनोज पुत्र प्रेम गुप्ता निवासी मो0 जमदग्नि नगर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर को नगरिया बुजुर्ग को जाने वाले रास्ते से समय करीब 00.30 बजे को गिरफ्तार किया गया व अभियुक्तों की निशादेही पर चोरी के गये सामान 104 सेफटी प्लेट (MBCD) व 7 बोरी जैहूक लोहा बरामद किया गया । उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 274/2025 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) -2023 पंजीकृत है। माल बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317 (2)/317 (5) BNS की बढोतरी की गयी तथा गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ अभियुक्तगण ..

अभियुक्त प्रभात मिश्रा उर्फ पिन्टू पुत्र मनोज कुमार मिश्रा नि0 ग्राम मुडिया खुर्द, थाना अल्हागंज, जनपद शाहजहाँपुर ने बताया की मैं व अंकित कुमार दोनों लोग आपस में दोस्त है तथा घर का खर्च चलाने के लिए हम लोग निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर लगी सेफटी प्लेट व जैहूक को चोरी करके बारहर पत्थर मनोज कबाडी की दुकान पर बेच देते थे और बिक्री किये गये माल के पैसों को हम बराबर बराबर बांट लेते थे । आज हम लोग मनोज कबाडी की दुकान पर सामान बेच कर आ रहे थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया जो माल हमने मनोज कबाडी की दुकान जो सामान बेचा था वह आपको बरामद करा दिया है साहब हमसे बहुत गलती हो गयी हमें माफ कर दो ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0स0 274/25 धारा 303(2) 317(2) / 317(5) BNS थाना जलालाबाद, शाहजहाँपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. प्रभात मिश्रा उर्फ पिन्टू पुत्र मनोज कुमार मिश्रा निवासी ग्राम मुडिया खुर्द थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर
2. अंकित कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम चौकी आजमपुर थाना अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर
3. मनोज पुत्र प्रेम गुप्ता निवासी मो० जमदग्नि नगर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण

1. सेफ्टी प्लेट (MBCD)
2. 7 बोरी जैहूक लोहा के

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
उ०नि० पवन कुमार
उ०नि० सारंग चौहान
का० 2792 अजय शर्मा
का० 2103 दिनेश
का० 2306 गौरव तोमर
का० 2140 रवि कुमार